न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 148 / 2018 दायरा दिनांक : 14.11.2018

उनवान

भगवान सिंह आयु 56 वर्ष आत्मज चन्दर सिंह, जाति राजपूत, निवासी बिलखेड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— हरि सिंह आयु 65 वर्ष आत्मज अमर सिंह, जाति राजपूत, निवासी बिलखेड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— शिव सिंह आयु 62 वर्ष आत्मज हरि सिंह, जाति राजपूत, निवासी बिलखेड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री शम्भू दयाल विजय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 29.09.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या — 30 / दावा / 2017 निर्णय व डिकी दिनांक 23.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 23.05.2018 विधि न्याय एवं संचिका में

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

प्राप्त सिद्धी के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल प्रतिवादी के गवाहान के बयान लेकर वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 का जवाब भी नहीं लिया, ना ही तनकीयात कायम की । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय को वादी के वाद पत्र की प्लीडिंग के आधार पर व वादी को पूर्ण सुनवायी का अवसर देकर वाद डिकी करना चाहिए था ऐसा न कर दावा खारिज करने में त्रुटि की है । इस कारण से पारित निर्णय व डिकी अपास्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.08.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल प्रतिवादी के गवाहान के बयान लेकर वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 का जवाब भी नहीं लिया, ना ही तनकीयात कायम की । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय को वादी के वाद पत्र की प्लीडिंग के आधार पर व वादी को पूर्ण सुनवायी का अवसर नहीं दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा एग्रीमेंट के आधार पर किया गया है । स्पेसिफिक परफारमेन्स (Specific performance) के लिए सिविल न्यायालय में जाना पड़ता है । बेचान सादा कागज पर किया है । गवाहों ने भी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

ताईद किया कि बेचान फर्जी किया है । अपीलांट कोई नई बात लेकर नहीं आये हैं । अतः अपील खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपना निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कमठिया में वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मजमेआम में किया है । वादग्रस्त आराजी का बेचान एक स्टाम्प पर करना बताया है, जो अनरजिस्टर्ड है तथा गवाहों द्वारा बताया गया कि कोई ऐसा स्टाम्प बेचान सम्बन्धी नहीं लिखा गया । अतः वाद खारिज किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

भगवान सिंह आयु 56 वर्ष आत्मज चन्दर सिंह, जाति राजपूत, निवासी बिलखेड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

..........**अपीलांट**

बनाम

1– हरि सिंह आयु 65 वर्ष आत्मज अमर सिंह, जाति राजपूत, निवासी बिलखेड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
2– शिव सिंह आयु 62 वर्ष आत्मज हरि सिंह, जाति राजपूत, निवासी बिलखेड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 148/2018 एवं नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, गंगधार**
मु.द.नं 30/दावा/2017 निर्णय अंतिम डिकी दिनांक – 23–05–2018

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 22 माह 09 सन् 2020

हाजरी **श्री बी एल भटनागर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री शम्भू दयाल विजय** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 23.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **29** माह **09** सन् **2020** को जारी किया गया ।

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.

मोहर